संख्या-6/2025/46-1002(001)/1/2025

प्रेषक,

सी.इंदुमती,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 04 अप्रैल,2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत 'चीनी आयुक्त का अधिष्ठान' हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपके पत्र संख्या-235/लेखा-बजट/2025-26, दिनांक 28.03.2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-24(चीनी) के अन्तर्गत 2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन तथा 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान के वेतन एवं अन्य वचनबद्ध व्ययों हेतु प्राविधानित धनराशि रू.2350.35 लाख का निम्न विवरण के अनुसार आहरित करने एवं आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	लेखाशीर्षक- **2852**-उद्योग **08**-उपभोक्ता उद्योग **001**-निदेशन तथा प्रशासन **03**-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान	वित्तीय वर्ष-**2025-26** का आय-व्ययक अनुमान	वित्तीय वर्ष-**2025-26** के लिए स्वीकृत धनराशि
1	**2**	**3**	**4**
1	01-वेतन	1300.00	1300.00
2	03-महँगाई भत्ता	780.00	780.00
3	04-यात्रा व्यय	8.00	8.00
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	3.00	3.00
5	06-अन्य भत्ते	12.00	12.00
6	07-मानदेय	0.30	0.30
7	08-कार्यालय व्यय	8.50	8.50
8	09-विद्युत व्यय	10.00	10.00
9	10-जलकर/जलप्रभार	0.20	0.20
10	11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	4.00	4.00

https://shasanadesh.up.gov.in/

11	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.50	5.50
12	13-टेलीफोन पर व्यय	6.00	6.00
13	15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	35.00	35.00
14	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	30.00	30.00
15	17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	22.00	22.00
16	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.30	0.30
17	45-अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.10
18	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	8.50	8.50
19	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	6.75	6.75
20	49-चिकित्सा व्यय	30.00	30.00
21	51-वर्दी व्यय	0.20	0.20
22	55-मकान किराया भत्ता	80.00	80.00
	योग:-	**2350.35**	**2350.35**

(रूपये तेईस करोड पचास लाख पैंतीस हजार मात्र)

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध–</u>

(1) उल्लेखनीय है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट में प्राविधानित धनराशि(मतदेय/भारित) के समक्ष वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किये जाने के संबंध में प्रस्तर-2(5) में निम्न दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

"जिन मामलों में राज्य द्वारा अनुदानित संस्थाओं के वेतन व भत्ते के भुगतान का दायित्व राज्य सरकार पर है, उनके लिए व्यय की मानक मद "31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के अन्तर्गत बजट प्रावधान से संबंधित वित्तीय स्वीकृतियाँ सुसंगत नियमों व स्थाई आदेशों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी। यदि संस्थाओं के पास विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन करने के उपरान्त वित्तीय स्वीकृतियाँ प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत की जायेंगी।"

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय सहायता अनुदान के उद्देश्यों के अनुरूप किया जायेगा तथा वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च 2025 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यावर्तन तथा पुनर्विनियोजन शासन की पूर्व अनुमति से किया ही जायेगा। साथ ही गन्ना आयुक्त/वित्त नियंत्रक

https://shasanadesh.up.gov.in/

स्वीकृत धनराशि को आहरित करने के पूर्व इस तथ्य की पुष्टि कर लेंगे कि गत वित्तीय वर्ष/वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया है तथा समस्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि उल्लिखित मदों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यय/मद में वहन नहीं किया जाएगा तथा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, पी.एल.ए. अथवा पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5) धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा। धनराशि उक्त सूची में अंकित मदों/कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु व्यय नहीं की जायेगी। निहित प्रयोजन हेतु उपयोग से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो इस धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(6) उक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग/उपक्रम में तैनात नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7) संस्था द्वारा वेतन का भुगतान वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व संस्था के निदेशक व वित्त नियंत्रक का होगा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्राविधानित धनराशि अनुदान के रूप में है, जिसका व्यय चीनी आयुक्त द्वारा वित्तीय एवं प्रशासकीय नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

(8) विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिन कार्यों/मदों हेतु धनराशि दी जा रही है, वह धनराशि उसी प्रयोजन में व्यय की जायेगी।

(9) उपरोक्तानुसार प्राविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष (चीनी आयुक्त) के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलॉटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत संबंधित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(10) यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाये, तो संदर्भित व्यय के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्षक का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाये।

https://shasanadesh.up.gov.in/

(11)उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष (चीनी आयुक्त) इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये तथा निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि तत्काल अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित कर उसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाये।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-24 के लेखा शीर्षक-''2852-उद्योग, 08-उपभोक्ता उद्योग, 001-निदेशन तथा प्रशासन एवं 03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान'' के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
(सी. इंदुमती)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ.प्र., प्रयागराज।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(बजट) अनुभाग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नूतन अग्निहोत्री)
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in/

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।